

4/7/22

बारी :

1. सोंगाराम पुत्र इस्लाम, जाति भील,
निवासी. उडकियों का बास, चेराई, तहसील
तिवरी, जिला जोधपुर


बनाम

प्रतिबारी :

1. दुगाराम पुत्र आइदानराम
2. भगाराम पुत्र आइदानराम
3. भीखाराम पुत्र आइदानराम
4. रम्भा पुत्री अचलाराम
5. सन्तु पुत्री सुब्बाराम

जाति जाट, निवासी महादेवनगर, चेराई
तहसील तिवरी, जिला जोधपुर ।

6. राजस्थान सरकार जरिक तहसीलदार
तिवरी ।


जायद इब्राहिम, पीपीएस

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत नद में ग्राम

डोकियों का बास, पटवार हल्का चेरई,

तहसील विवरी के खसरा नम्बर

2249/2 (बाइस सौ अचान बरा को)

रकबा 2.6709 है। भूमि वादी की

खातेदारी की एवं प्रतिवादी सं.

1 (एक) से 5 (पाँच) की खातेदारी भूमि

खसरा नं. 2055 रकबा 2.6709 है।

ग्राम महादेवबागर, पटवार हल्का

चेरई में आया जाना बताया गया

है। वादी ~~रकबा~~ ~~प्रतिवादी~~ द्वारा


उक्त वर्जित भूमि खसरा नं. 2255

(बाइस सौ अचान बरा एक) खसरा की

गड़ बताई। वादीगण का वादपत्र

में अनुतोष इस आधार पर

चाहा गया कि बेचान नामे में



2255 का निवरण खसरा नं. $\frac{2255}{1}$
 का $\frac{22}{2}$ परंतु बेचाननाम में
 खसरा नं. 2249 अंकित हो गया।
 वर्तमान में वारी द्वारा स्वयं
 को खसरा नं. $\frac{2255}{1}$ में काबिज
 होना बताया। इसी आधार पर
 वारी द्वारा अनुतोष चाहा गया
 कि खसरा नं. $\frac{2255}{1}$ में वारीगण
 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज
 किया जाये।

अप्रार्थीगण के अधिकारों

द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वारीगण
 के नाद में वर्तित बिन्दुओं के
 स्वीकार किया गया।

अतः न्यायालय नाद

स्वीकार करना उचित समझता है।

31/5/21

ग्राम 33किमी का बांस में दिग्ग

यस्य नं. $\frac{2249}{2}$ (बांस की अनुपात

बटाये) रकबा 2.6709 हेक्टर के

खान पर यस्य नं. $\frac{2255}{1}$ (बांस

की पचपन बटा एक) रकबा 2.6709

हेक्टर में बाँदा मा गाम रान्ध

दिवाडि में अंकि किया जाये।

अंकि/गिण संख्या 1(क)

ये 5 (पाँच) का बंशान में

राजक दिवाडि में यस्य नं. $\frac{2255}{1}$

में नाम रफ डे/उये खान पर

यस्य नं. $\frac{2249}{2}$ में अंकि/गिण

संख्या 1 (एक) से 5 (पाँच) का

नाम रफ किया जाये।

मानार्थ नरेश्वरसिंह

दिवाडि को नरेश्वर जायें हैं।

Ans